UPSI010083662017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 12, सीतापुर।

उपस्थित–पूर्णिमा पाठक, (एच0जे0एस0)

J0 Code: UP1570

सत्र परीक्षण सं0 **574 / 17**

C.I.S.No-0100574/2017

सरकार **बनाम** ताजू

08.06.2023

पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना पत्र कागज सं0 19ख आपत्ति कागज सं0 21ख पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना जा चुका है। आदेश हेतु पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रा0 पत्र 19ख अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र0 सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद के वादी मुकदमा कारून पुत्र अली मुहम्मद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में 4 अभियुक्तों को नामजद किया था, दौरान विवेचना पुलिस थाना पिसावॉ द्वारा अभियुक्तों की मिलीभगत के चलते अभियुक्त रिजवान, इदरीश व शामीन का नाम विवेचना में हटा दिया गया। दौरान साक्ष्य वादी मुकदमा कारून पी0डब्लू0 1, चोटहिल सैयरून्ना पी0डब्लू0 2 व चश्मदीद साक्षी आसमना पी0डब्लू0 3, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में चारों अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने की बात कही गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त वाद में तलब किया जाना न्यायोचित होगा। अन्त में उपरोक्त अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 319 सी0आर0पी0सी0 में तलब करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभियुक्त ताजू मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति 21ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह उक्त वाद में नामजद अभियुक्त है। उक्त वाद में वादी मुकदमा द्वारा उसके अलावा तीन अन्य रिजवान, इदरीश एवं सामीन को एफ0आई0आर0 में नामजद किया गया था। विवेचना किये जाने पर उक्त वाद में मात्र प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, अन्य नामजद तीन व्यक्तियों की नामजदगी गलत पाये जाने का उल्लेख करते हुए विवेचना समाप्त की गई थी। उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने पर अभियोजन पक्ष द्वारा वादी मुकदमा मो0 कारून को पी0डब्लू01, चोटहिल सैरूना पी0डब्लू0 2 तथा पी0डब्लू0 3 के रूप में आसमा का बयान

अंकित कराया। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिनांक 04.06.2017 को समय 21.30 बजे वादी की मॉ सैयरून्ना व भाभी आसमा घर से शौच क्रिया के लिये सामने ताल में गयी हुई थीं कि नामजद मुल्जिमान तालाब के पास बैठे हुए थे जब वादी की माता व भाभी तालाब से आगे बढ़ी तो विपक्षीगण/अभियुक्तगण ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे वादी की मॉ के दाये कंधे पर चोट आयी। एफ0आई0आर0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने चारों मुल्जिमान द्वारा फायर करना कहा है, परन्तु किसके फायर करने से वादी की मां के कंधे पर चोट आयी यह तथ्य एफ0आई0आर0 में नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि चारों लोगों द्वारा फायर किये गये थे तो एक ही चोट व एक ही चोटहिल नहीं हुआ होता। उक्त घटना की एफ0आई0आर0 दिनांक 05.06.2017 को 6.40 बजे दर्ज करायी गयी है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। अतः कथित एफ0आई0आर0 कथित समय की दर्ज किया जाना व घटना कथित समय व कथित ढंग से कथित स्थल पर घटित होना अत्यन्त संदेहपूर्ण है। कथित घटना स्थल पर विवेचक को कोई खून नहीं मिला जैसा कि नक्शा नजरी से स्पष्ट है। फायर करने का स्थान व मुल्जिमान के मौजूद होने का स्थान चोटहिल व गवाह के शौच करने का स्थान व मुल्जिमान के भागने का मार्ग आदि भी नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं है। वादी ने अपने बयान धारा 161द0प्र0सं0 में यह नहीं बताया है कि किसके फायर करने से मॉ के चोट आई बल्कि सभी विपक्षीगण द्वारा फायर करने का कथन किया है। चूँकि वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने किसी की विशेष भूमिका अपराध में नहीं कही है। अतः उसका बयान 161 द0प्र0सं0 महत्वपूर्ण नहीं है। चोटहिल सैरूनिसा ने अपने बयान धारा 161द0प्र0सं0 में केवल एक व्यक्ति प्रार्थी (ताजू) को तालाब के पास बैठा होना व फायर करने का कथन किया है। चश्मदीद साक्षी आसमा ने धारा 161 द0प्र0सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि ताजू के अलावा और वहॉ कोई नहीं था। मेरे देवर ने गलती से रिजवान, इदरीश व सामीन का नाम लिखा दिया है।

साक्षी पी0डब्लू0 1 कारून ने न्यायालय में दिये गये बयान में पृष्ठ 12 पर यह बयान दिया है कि मैंने अपनी मॉ के कहने पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी थी, मेरी मॉ ने अस्पताल में होश आने पर चार लोगों के नाम बताये थे। मैंने विवेचक को ताजू के द्वारा फायर करने की बात बतायी थी। मैंने विवेचक को यह बात नहीं बतायी थी कि विपक्षीगण ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। मेरे बयान में ताजू द्वारा फायर करना नहीं लिखा है। सभी विपक्षीगण द्वारा फायर करना लिखा है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ।

साक्षी पी0डब्लू02 सैरून्ना द्वारा न्यायालय में यह साक्ष्य दिया गया है कि मेरे गॉव के ताजू, सामीन, रिजवान व इदरीश चारो लोग तालाब पर पहले से बैठे थे, जैसे ही मैं आगे बढ़ी जान से मारने की नियत से उसके ऊपर ताजू ने फायर कर दिया। उक्त साक्षी का यह बयान एफ0आई0आर0 व पी0डब्लू01 वादी की मुख्य परीक्षा में अंकित

कराये गये इस तथ्य को झूठा साबित करता है कि सभी विपक्षीगण ने फायर कर दिया। पी0डब्लू0 2 सैरूनिशा ने पी0डब्लू0 1 वादी के विपरीत पेज नं0 3 पर यह कथन किया है कि उस समय मेरा बेटा कारून चौपहिया वाहन चलाने गया हुआ था। यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू01 घटना के समय स्वयं को घर पर मौजूद होना व फायर की आवाज व शोर सुनकर मौके पर पहुंचने का कथन न्यायालय में किया है। साक्षी पी0डब्लू0 3 ने पी0डब्लू0 1 के बयान के विपरीत पेज 4 पर यह बयान दिया है कि फायर लगने के एक घण्टे बाद पुलिस वाले मौके पर आये थे। मेरी सास मौके पर ही पड़ी थी। आपत्ति कागज सं0 21ख में यह भी आधार लिया गया है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01, पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू0 3 के द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गयी साक्ष्य में कई गम्भीर विरोधाभाष हैं। अन्त में अनुरोध किया गया है कि साक्षी पी0डब्लू01, पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू0 3 द्वारा न्यायालय में दिये गये बयानो को देखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 319 दं0 प्र0 सं0 निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को पूर्व में सुना जा चुका है, मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि थाना पुलिस पिसावॉ के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मु0अ0सं0 200/2017 धारा 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण ताजू, रिजवान,इदरीश, शमीन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचनोपरान्त अभियुक्त ताजू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त ताजू के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया तद्परान्त अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू01 मो0 कारून, पी0डब्लू0 2 सैरूना एवं पी0डब्लू0 3 आसमा को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से इस स्तर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर प्रस्तावित अभियुक्तगण रिजवान, इदरीश एवं समीन को तलब करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 मो0 कारून जो प्रकरण का वादी मुकदमा है ने अपनी साक्ष्य प्रतिपरीक्षा दिनांकित 15.05.18 को पृष्ठ 8 पर साक्ष्य देते हुए कहा है कि **''मेरी मॉ ने मुझे यह नहीं बताया था कि अभियुक्त कहॉ बैठे थे। मॉ ने होश आने पर घटना के बारे में बताया था। मॉ ने ताजू की फायर करने वाली बात मुझे बतायी थी। मैंने तहरीर व दरोगा जी को ताजू द्वारा फायर करने की बात लिखा व बता दी थी। यदि मेरी तहरीर व बयान में ताजू द्वारा फायर करने की बात नहीं लिखी है तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरी मॉ ने मुझे ताजू द्वारा फायर करने की बात न बतायी हो और यह भी कहना गलत है कि ताजू द्वारा**

फायर करने की जानकारी मुझे न हो। इसीलिये मेरी तहरीर व बयान में यह बात न ंलिखी हो। केवल एक फायर हुई थी और उसी की आवाज मैंने सुनी थी।'' पी0डब्लू0 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य दिनांकित 05.06.18 के पृष्ठ 12 पर यह साक्ष्य पुनः दिया है कि '' **मैंने अपनी मॉ के कहने पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी थी। यह कहना गलत होगा कि मेरी मॉ ने चारों लोगों के नाम मुझे न बताये हों। मुझे मेरी मॉ ने अस्पताल में होश आने पर चार लोगों के नाम बताये थे।''** उक्त बिन्दु पर अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 के साक्ष्य में विरोधाभाष है। यह साक्षी अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि घटना के बारे में मुझको मॉ ने होश आने पर बताया था कि ताजू ने फायर किया था। जबकि पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मॉ के बताने के आधार पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की साक्ष्य दे रहा है और यह भी साक्ष्य दे रहा है कि '' उसको उसकी मॉ ने अस्पताल में होश आने पर चार लोगों के नाम बताये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 सैरूना जो कि प्रस्तुत प्रकरण की स्वयं चोटहिल साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में ही यह कथन करते हुए साक्ष्य दिया है कि **''रिजवान, इदरीश चारों लोग तालाब पर जो पहले से बैठे थे, जैसे ही मैं तालाब से आगे बढ़ी जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर ताजू ने कर दी।''** पी0डब्लू02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 8 में यह साक्ष्य दिया है कि **''केवल एक फायर हुआ था, मैं नही बता सकती की फायर लगने पर मौके पर कौन–कौन पहुंचा था।''** पी0डब्लू0 3 आसमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य दिनांकित 06.03.21 के पृष्ठ 6 पर साक्ष्य देते हुए कहा है कि **''मैने कारून को ताजू द्वारा सास पर फायर करने की बात जब कारून मौके पर तालाब पर पहुंचे थे तभी बतायी थी। मैंने कारून को यह भी बताया था कि फायर करने के बाद शामिन व रिजवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और ललकार कर कहा था कि इसे गोली मार दो। कारून ने मेरे हाथ से बहता खून नहीं देखा था क्योंकि वे अपनी माता जी में पड़ गये थे।''** उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 मो0 कारून जो कि प्रकरण में स्वयं वादी मुकदमा है, के द्व ारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा जा रहा है कि घटना की जानकारी मुझको मॉ ने अस्पताल में होश आने पर दी थी और बताया था कि ताजू ने उसके ऊपर फायर किया है। जबकि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 आसमा ने प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसके द्वारा कारून को ताजू द्वारा सास को गोली मारने की बात मौके पर पहुंचने पर बतायी गयी थी। उक्त एक ही बिन्दु पर इन दोनों अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है। उपरोक्त तीनों साक्षियों पी0डब्ल01, पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू3 की साक्ष्य के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना में एक ही फायर किया गया था इससे भी अन्य प्रस्तावित अभियुक्तगण का घटनास्थल पर उपस्थित होना संदिग्ध हो जाता है।

इसके अतिरिक्त चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0 2 सैरूना ने विवेचक को अपने दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में कहा है कि **''दिनांक 04.06.17 को समय करीब 9.30 बजे मैं व मेरी बहू आसमा घर से शौच किया के लिये सामाने ताल में गयी हुई थी। गॉव के रहने वाले ताजू पुत्र सलारी तालाब के पास बैठे हुए थे, जब मैं तालाब से आगे बढ़ी तो ताजू ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिससे मेरे दाहिने कंधे पर चोट आ गयी और मैं गिर गयी व मेरी बहू चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर ताजू मौके से भाग गया था। तब मेरे परिवार के लोग मुझे डाक्टरी कराने के लिये ले गये। ताजू के अलावा और कोई वहॉ नहीं था। मेरे लड़के ने गलती से रिजवान,इदरीश व समीन का नाम लिखवा दिया। इनका नाम जल्दीबाजी में लिख गया।''**

प्रत्यक्षदशी साक्षी पी0डब्लू03 आसमा ने विवेचक को अपने दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में कहा है कि **''दिनांक 04.06.17 को मैं अपनी सास के साथ घर से समय करीब 10.00 बजे रात शौच किया के लिये सामने ताल में गयी हुई थी। गॉव के रहने वाले ताजू पुत्र सलारी तालाब के पास बैठे हुए थे, जब मैं व मेरी सास तालाब से आगे बढ़ी तो विपक्षी ताजू जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिससे मेरी सास के दाहिने कंधे पर चोट आयी। मैं चिल्लाने लगी तो ताजू भाग गया। ताजू के अलावा और कोई वहॉ नहीं था। मेरे देवर ने गलती से रिजवान,इदरीश व समीन का नाम जल्दीबाजी में लिखवा दिया। यह तीनों लो उस दिन सुबह से गॉव में नहीं थे।''**

इसके अतिरिक्त विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वतंत्र साक्षी श्रीमती नूरजहॉ, रसीद,रमजानी, मटरी आदि के बयान अंकित किये गये हैं। उक्त सभी साक्षियों ने यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने घटना के बाद ताजू को भागते देखा था वहॉ पर रिजवान, इदरीश व सामीन नही थे, उस दिन यह तीनों अपनी रिश्तेदारी में गये हुए थे।

प्रश्नगत मामले में अधोलिखित विधि व्यवस्था का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा–

(हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एस0सी0सी0 92 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी भी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष विचार हेतु तलब करने के लिये आरोप विरचित किये जाने हेतु उपलब्ध साक्ष्य से अधिक ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिये।

इस स्तर पर धारा 319 दं0 प्र0 सं0 का अवलोकन भी आवश्यक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

धारा 319–

जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता हो कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय में उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

धारा 319 दं0 प्र0 सं0 के प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य पाया जाता है, जिससे अन्य अभियुक्तों के द्वारा भी उक्त अपराध में सहभागिता किया जाना प्रकट होता हो तो ऐसी स्थिति में अन्य अभियुक्तों को भी मुख्य अभियुक्त के साथ विचारण हेतु तलब किया जा सकता है, परन्तु इस अपराध में ऐसा कोई भी ठोस विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर शेष अभियुक्तगण रिजवान, इदरीश, शामीन के द्वारा भी उक्त अपराध किया जाना प्रकट होता हो। उपर्युक्त विश्लेषण एवं उक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 19ख निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 21ख निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 07.07.2023 को पेश हो।

(पूर्णिमा पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–12,
सीतापुर।

गजराज/

Digitally signed by SMT POORNIMA PATHAK
Date: 2023.06.08 17:55:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court